(3) (1)

दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना.

दिशा-निर्देश

उद्देश्य:

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीवकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु "दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना" प्रस्तावित किया गया है। इस योजनांतर्गत् दिनांक 30.6.2004 तक भूमि अतिक्रमण कर गुमटी निर्माण करते हुए जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति योजना के लाभार्थी होंगे।

योजना का स्वरूप:

- यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू किया जावेगा.
- योजना के कियान्वयन हेतु नगरपालिक निगम तथा जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तथा अन्य नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में एक कियान्वयन समिति गठित की जावेगी.

1.	महापौर	-	सदस्य
2.	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
3.	कार्यपालन यंत्री	-	सदस्य
4.	नजूल अधिकारी	-	सदस्य
5.	नगर निवेश अधिकारी	-	सदस्य
6.	कार्यपालन यंत्री, छ.ग.विद्युत मंडल	-	सदस्य
7.	आयुक्त, नगरपालिक निगम	-	सदस्य/संयोजक

नगरपालिका एवं नगर पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता मे गठित समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

1.	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत	-	सदस्य
2.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	-	सदस्य
3.	नगर निवेश के अधिकारी	-	सदस्य
4.	अनुविभागीय अधिकारी भ+स	-	सदस्य

(4) (2)

5.	सहायक यंत्री, छ.ग.विद्युत मंडल	-	सदस्य
6.	निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी	-	सदस्य/संयोजक

स्थल का चयनः

समिति के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जावेगा, जहां गुमटी या ठेले व्यवस्थित रूप से स्थापित किये जायेंगे । समिति ऐसे स्थानों का ले-आउट भी तैयारी करायेगी । समिति गुमटी, ठेला या अन्य फेरी वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी चिन्हांन करेगी ।

आबटंन की शर्तेः

- गुमटियां निकाय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे तथा स्थल पर रखे जायेंगे.
- गरीबी रेखा या उसके आसपास जीवन-यापन करने वालें परिवारों का चयन जिला समिति द्वारा किया जाएगा तथा निकाय द्वारा गुमटियां लायसेंस पर उन्हें आवंटित किया जायेगा.
- आवंटितियों को ग्यारह माह के लिए लायसेंस दिया जाएगा, जिसका प्रतिवर्ष नियमानुसार नवीनीकरण किया जावेगा.
- गुमटियों का हस्तानांतरण नहीं होगा.
- भूमि का स्वत्वाअधिकारी हस्तानांतरित नही होगा.
- आवश्यकता पड़ने पर, एक माह की नोटिस देकर गुमटियों को हट्टाया जा सकेगा तथा यथासंभव गुमटियों को अन्यत्र लगाकर पुनः लांयसेंस दिया जायेगा.
- गुमटियों का अधिकतम् आक़ार 6X8 फुट होगा । इससे अधिक अतिक्रमण करने या गुमटी के बाहर स्थायी अस्थायी निर्माण करने पर आवंटन निरस्त किया जाएगा.
- विद्युत संयोजन के लिए अनापत्ति नगरीय निकाय द्वारा दी जाएगी । हितग्राही को स्वयं के व्यय पर संयोजन प्राप्त करना होगा.
- गुमटियों के समूह के लिए सार्वजनिक नल कनेक्शन दिया जाएगा । हितग्राहियों को वार्षिक समेकित कर नगरीय निकाय को देना होगा.

(15) (3)

- हितग्राही को नगरीय निकाय से व्यवसायी लायसेंस प्राप्त करना होगा.
- गुमटी के सामने वाहनों की पार्किंग निर्धारित कतारों में हो, इसकी जवाबदारी हितग्राही की होगी.
- लायसेंसधारियों को नगरीय निकायों द्वारा फोटो परिचय-पत्र जारी किया जावेगा, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा.
- भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के सहयोग से हितग्राहियों को जनश्री या/तथा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें राज्य शासन का भी अंशदान होगा.
- हितग्राहियों का नगरीय निकाय द्वारा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा.
- गुमटी के लागत के विरूद्ध हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी.

<u>गुमटियों की लागतः</u>

- प्रति गुमटी की लागत रूपये बीस हजार होगी । इसका 80 प्रतिशत् राशि राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान स्वरूप दिया जावेगा तथा 20 प्रतिशत् राशि नगरीय निकाय वहन करेगा.
- गुमटियों के लायसेंस शुल्क के रूप में नगरपालिक निगम क्षेत्र में रू. 150/-, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में रू. 100/- तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में रूपये 75/- न्यूनतम होगी.

(विवेक ढाँड)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग